क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		का वाद में किसी प्रकार का हित निहित नहीं हो जाता है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में खातेदार नहीं है। उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजीयात में हिस्सा राय। दायरी से पूर्व क्रय कर लिया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण दावे में आवश्यक पक्षकार है। अतः प्रार्थीगण को प्रतिवादी सं. (7) व (8) के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। वादी अधिवक्ता को संशोधित उनवान पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 9.1.25 को पेश हो। (स.) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, बाकसू (जयपुर)
	9.1.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को सायंकाल 6 pm तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आए। न ही वादी की तरफ से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आए। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (स.) उपखण्ड अधिकारी उपख. बाक.